न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/113

1. छीतर लाल आत्मज श्री कजोड ।
2. किशन लाल आत्मज श्री कजोड ।
3. बाबूलाल आत्मज श्री कजोड जाति मोग्या निवासीगण ग्राम नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. भू–स्वामी तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.11.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 92 (ए) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 5905/1034 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 1034 का ही भाग है । उक्त भूमि वादीगण के पिता कजोड को दिनांक 16.12.1975 को आवंटित हुई थी और नियमानुसार भूमि पर कब्जा दिया गया था तब से लेकर 10 वर्ष तक बहैसियत गैर खातेदार कृषक तत्पश्चात् बहैसियत खातेदार कृषक वादीगण अपने पिता के साथ एवं पिता की मृत्यु के पश्चात् अकेले वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त

भूमि अभी तक वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं की गई । वर्तमान में उक्त भूमि वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है । वादीगण को अधिकार है कि वे उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित कर उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज की जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये सीपीसी की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के अनुसार कोई भी निर्णय आदेशिका पर पारित नहीं किया जा सकता । आदेशिका पर पारित किया गया निर्णय पूर्णतया गलत एवं गैर कानूनी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि कोरोना के कारण देश में लॉक डाउन रहा इस कारण अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाद की जानकारी नहीं कर सके । लोक डाउन के बाद अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में दिनांक 02.06.2021 को अपने वाद की जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि वादीगण का वाद खारिज हो गया है जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 07.06.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादीगण के द्वारा एक दावा हक घोषणा का ग्राम नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 5905/1034 रकबा 05 बीघा के लिए पेश किया था । यह आराजी वादीगण के पिता कजोड को दिनांक 16.12.1975 को आवंटित हुई थी और कब्जा दिया गया था । 10 वर्ष तक बहैसियत गैर खातेदार तत्पश्चात् बहैसियत खातेदार अपीलान्ट के पिता एवं उनके पश्चात् अपीलान्ट उस पर काबिज काश्त रहे हैं । अपीलान्टगण ने खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की थी । बिना तनकीयात कायम किये आदेशिका पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण खारिज किया गया है जो विधि–विरूद्ध है । आदेशिका पर राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । साक्ष्य की विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । यदि किसी स्तर पर अनुमति की आवश्यकता थी तो वो प्राप्त की जा सकती थी । परीक्षण न्यायालय के द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादीगण खारिज किया गया है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैर खातेदारी से खातेदार भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की जा सकती है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक दावा हक घोषणा का यह कथन करते हुए पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता को आवंटित हुई थी जिस पर वो बहैसियत खातेदार काबिज हैं । अतः उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें ।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर डाक विभाग की रसीदें प्रदर्श– 1 व 2, नोटिस की प्रति प्रदर्श– 3, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4, दखलनामे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 5, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 प्रदर्श– 6, आवंटन आदेश की नकल प्रदर्श– 7, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 8 लगायत 11 संलग्न है जिसमें कजोड गैर खातेदार दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2049–51 प्रदर्श– 12 संलग्न है जिसमें कजोड गैर खातेदार दर्ज है । प्रदर्श– 13 नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 है जिसमें कजोड गैर खातेदार दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 16 लगायत 19 संलग्न है । पत्रावली पर पैरोकार सरकार का जवाब संलग्न है जिसमें यह अंकित है कि वादी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की । प्रकरण नगरपालिका क्षेत्र का है जिसमें खातेदारी देने का अधिकार जिला कलक्टर महोदय को है ।

13. वादीगण की ओर से बयान छीतर लाल पीडब्ल्यू–1, रंगलाल पीडब्ल्यू– 2 और कालू पीडब्ल्यू– 3 कराये गये हैं ।

14. परीक्षण न्याालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय से दावा वादी खारिज किया गया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार की घोषणा हेतु हक घोषणा का दावा पेश किया गया है जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवंटन नियमों के तहत आवंटन शर्तों की पालना करने के आधार पर आवंटन अधिकारी के द्वारा प्रदान किये जाते हैं । गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी उस पर विधि सम्मत निर्णय पारित कर सकते हैं । तद्नुसार गैर खातेदारी से खातेदारी घोषणा के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा का यह दावा मेन्टेनेबल नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने इन तथ्यों के आधार पर दावा वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/11/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/113

1. छीतर लाल आत्मज श्री कजोड ।
2. किशन लाल आत्मज श्री कजोड ।
3. बाबूलाल आत्मज श्री कजोड जाति मोग्या निवासीगण ग्राम नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. भू–स्वामी तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 76/दावा/2012

1. छीतर लाल आत्मज श्री कजोड ।
2. किशन लाल आत्मज श्री कजोड ।
3. बाबूलाल आत्मज श्री कजोड जाति मोग्या निवासीगण ग्राम नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. भू–स्वामी तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 29.11.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

29/11/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा